रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. .....
Date .....
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 7, 1977 (वैशाख 17, 1899)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 7, 1977 (VAISAKHA 17, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	401
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	581
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	511
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1525
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1509
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	239
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2093
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	421
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	41
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1145
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	83

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	401
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	581
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	511
PART II—SECTION 1.—Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1525
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1509
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .	239
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	2093
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	421
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1145
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . ..	83

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली दिनांक 6 अप्रैल 1977

सं० 44-प्रेज/77—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी का उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद — स्वर्गीय

श्री राघवेन्द्र राव कुलकर्णी
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला बैल्लारी,
कर्नाटक ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

3 अप्रैल, 1976 को प्रातः पुलिस उप-निरीक्षक राघवेन्द्र राव कुलकर्णी को सूचना मिली कि घातक हथियारों से लैस एक दल के लगभग 300 समर्थक लूट-मार, आगजनी तथा हत्या के इरादे से एक अन्य दल के नेता के मकान की ओर जा रहे हैं। उस समय थाने में केवल एक कान्स्टेबल उपलब्ध था। पुलिस की कमी और भीड़ की उग्रता की परवाह न करते हुए श्री कुलकर्णी तुरन्त उस स्थान पर गये और भीड़ को शान्त करने का प्रयत्न किया किन्तु यह देखकर कि भीड़ नियंत्रण में नहीं है और आग लगाती जा रही है, वे तुरन्त थाने से जाकर एक रिवाल्वर ले आये। कान्स्टेबल के पास भी एक 410 बन्दूक थी। तब उन्होंने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिये कहा परन्तु इसकी बजाय उसने उनपर तथा कान्स्टेबल पर पथराव करना शुरू कर दिया। कोई विकल्प न देखकर उन्होंने भीड़ पर गोली चला दी जिससे एक व्यक्ति मारा गया तथा दूसरा घायल हो गया। इससे भीड़ और क्रुद्ध हो गई और उसने लाठियों तथा पत्थरों से पुलिस उप-निरीक्षक पर आक्रमण कर दिया जिससे उनके सिर में गम्भीर चोटें आयीं। उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया किन्तु चोट के कारण एक सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई।

इस कार्यवाही में श्री राघवेन्द्र राव कुलकर्णी ने अनुकरणीय साहस, पहल-शक्ति तथा उच्चकोटि का कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 अप्रैल 1976 से दिया जायेगा ।

सं० 45-प्रेज/77—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों का उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री गोपालाचारी,
पुलिस अधीक्षक,
जमशेदपुर,
बिहार ।

श्री मैकू राम,
पुलिस अधीक्षक,
सिंहभूम (चाईबासा),
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

26 मई, 1971 को पुलिस ने हजारीबाग केन्द्रीय कारावास की दीवारों को उड़ा देने के एक अधन्य षड्यंत्र का पता लगाया। यह षड्यंत्र मुख्य आततायी तत्वों द्वारा रचा गया था। अपराधियों में से एक ने पुलिस को एक बहुत कुख्यात अपराधी के छिपने के स्थान की सूचना दी। उसने वांछित अपराधी के मुख्यालय का पता बताया था। अतः जिला सिंहभूम और जिला जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षकों ने अपराधी के छिपने के स्थान पर 5 जून, 1971 की लगभग 4 बजे अपराह्न मिलकर छापा मारने का आयोजन किया। दोनों पुलिस अधीक्षकों ने स्वयं छापामार दल का नेतृत्व किया और अपराधियों के छिपने के स्थान को घेर लिया। जैसे ही अपराधियों को पुलिस दल के पहुंचने का पता लगा उन्होंने अपने देसी हथियारों से गालियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस अधिकारियों ने भी जवाब में गोली चलाई। अपराधियों ने फरसों तथा अन्य हथियारों से आक्रमण करते हुए पुलिस के घेरे से बचकर भी निकलने का प्रयत्न किया। इस मुठभेड़ में दो अपराधी घटनास्थल पर मारे गये और अन्य दो गिरफ्तार कर लिये गये, जिनमें से एक वही कुख्यात अपराधी था जिसकी बहुत तलाश थी। पुलिस को पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और पत्र-व्यवहार मिला जिससे भूमिगत आततायियों और उनकी गतिविधियों का पता चला।

इस कार्यवाही में श्री गोपालाचारी तथा श्री मैकू राम ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर 1974 से दिया जायेगा ।

सं० 46-प्रेज/77—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सतीश चन्द्र दास,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक सं० 4430,
बारासट थाना, 24-परगना,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

8 जुलाई, 1975 की रात के लगभग 3 बजे सहायक उप-निरीक्षक सतीश चन्द्र दास को गश्ती ड्यूटी पर दो कान्स्टेबलों से सूचना मिली कि आग्नेयास्त्रों तथा घातक हथियारों से लैस आततायियों का एक गिरोह मध्यमग्राम रेलवे यार्ड से एक लारी में भारी मात्रा में लोहे के स्लीपर चुराकर ले जा रहा है। श्री दास तत्काल उपलब्ध थोड़े से दल के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने लोहे के स्लीपरों से लदी लारी में बैठे लगभग 25 आततायियों को ललकारा। जिस पर आततायियों ने गोली चला दी और उनके ड्राइवर ने पुलिस कर्मचारियों को कुचलते हुए भाग निकलने का प्रयत्न किया। इस हंगामे में श्री दास गिर गये उनके सिर पर, गम्भीर चोटें आईं और अधिक मात्रा में खून बहने लगा। किन्तु वे

दौड़कर ड्राइवर के साथ वाले लारी के पायदान पर चढ़ गये और अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाईं तथा कांस्टेबल को भी लारी पर गोली चलाने का आदेश दिया। कांस्टेबल ने लारी के दो टायरों को पंक्चर कर दिया और वह रुक गई किन्तु आततायी कूदकर बाहर निकल गये और भाग गये। उनमें से एक बाद में पकड़ा गया।

इस मुठभेड़ में श्री मनीश चन्द्र दास ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जुलाई, 1975 से दिया जायेगा।

सं० 17-प्रेज/77—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जगदीश प्रसाद,
पुलिस उप-निरीक्षक,
राजस्थान।

श्री बालम सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल सं० 523,
डी कम्पनी, पहली बटालियन,
राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी,
राजस्थान।

श्री मुश्ताक खां,
कांस्टेबल सं० 147
थाना मसालपुर,
जिला सवाई माधोपुर,
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

14 मार्च, 1976 को बहुत सवेरे उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद को सूचना मिली कि एक डाकू अपने गिरोह सहित गांव मरदाई के पास ईख के खेत में छिपा हुआ है। श्री जगदीश प्रसाद पुलिस कर्मचारियों के दल के साथ वहां गये और ईख के खेत को घेर लिया। फिर उन्होंने डाकुओं को आत्म-समर्पण करने के लिये ललकारा किन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोलाबारी कर दी।

इस मठभेड़ के दौरान कांस्टेबल बालम सिंह, जिन्हें बायें पार्श्व भाग की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, बचने के रास्ते को रोकने के लिये आगे बढ़े। इस प्रक्रिया में, वे सामने पड़ गये और दुर्भाग्यवश डाकुओं की गोली का निशाना बन गये। श्री बालम सिंह गम्भीर रूप से जख्मी हो गये और मसालपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।

कांस्टेबल मुश्ताक खां ईख के खेत में, जिसमें डाकू छिपे थे, 50 गज की दूरी पर एक पीपल के पेड़ के पीछे मोर्चा सम्भाले हुए थे। वह एक बहुत नाजुक स्थिति में थे फिर भी डाकुओं पर निरन्तर गोलीबारी करते रहे। इस कांस्टेबल को पहले ही भेष बदलकर गिरोह पर नजर रखने के लिये मुखबिर के साथ तनात किया हुआ था। उन्होंने डाकुओं का पता लगाने में गम्भीर खतरा मोल लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की क्योंकि वह निहत्थे थे। इस सुसगठित छापे के कारण डाकुओं ने अपने आप को निसहाय पाया और मुठभेड़ में वे सब के सब मारे गये। उनसे एक .303 राईफल, छ बन्दूकें तथा भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री जगदीश प्रसाद, श्री बालम सिंह और श्री मुश्ताक खां ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 1976 से दिया जायेगा।

कृ० बालचन्द्रन,
राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 1977

सं० एफ० 2 (10)-एन० एस० / 76—राष्ट्रपति डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1970 में इसके द्वारा और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों को डाकघर (सावधि जमा) तीसरा संशोधन नियमावली, 1977 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 डाकघर (सावधि जमा) नियमावली 1970 के नियम 8 क में, :—

(1) परन्तुक में "60" अंकों के स्थान पर "30" अंक पढ़ा जाए

(2) यथा संशोधित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाए :—

टिप्पणी —जिन मामलों में 30 महीनों से ज्यादा अवधि गुजर गई हो उन मामलों में जमा की प्रविष्टि 5 वर्षीय खाते में फिर से रकम जमा कराये जाने की तारीख से 30 महीने पहले की तारीख में की गई मानी जाएगी।

ए० वी० श्रीनिवासन अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1977

सं० 3-10/75-एम० एच० (एम० पी० वी०) —राष्ट्रपति यह आदेश देते हैं कि "मानसिक रोग चिकित्सालय रांची", एक अप्रैल, 1977 से "केन्द्रीय मानचिकित्सा संस्थान, रांची" कहलाया जाएगा।

एस० श्रीनिवासन, उप-सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1977

संकल्प

सं० 44/1/76-प्रशा० एक —इस मंत्रालय के संकल्प सं० 44/1/76-प्रशा०-एक, दिनांक 15 अप्रैल, 76 द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पुणे के लिए स्थापित उच्च स्तरीय समीक्षा समिति के कार्यकाल को मई, 1977 के अन्त तक की और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बृज मोहन किशन भट्ट, संयुक्त सचिव

PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 26th April 1977

No 44-Pres /77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer ot the Karnataka Police —

Name and rank of officer

Shri Raghavendra Rao Kulkarni, *(Deceased)*
Sub Inspector of Police,
Bellary District,
Karnataka

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the morning of the 3rd April, 1976 Sub Inspector Raghavendra Rao Kulkarni received information that about 300 followers of a group armed with deadly weapons were proceeding towards the house of the leader of another group with the intention of looting and committing arson and murder At that time there was only one constable available at the Police Station Unmindful of the lack of police force and the ferocity of the mob Shri Kulkarni rushed to the spot and tried to pacify the mob but finding that it was uncontrollable and was committing arson, he rushed back to his police station and immediately returned armed with a revolver The Constable was also armed with a .410 musket He then warned the mob to disperse but in turn it retaliated by pelting stones at him and the constable Seeing no alternative, he opened fire at the mob resulting in the death of one person and injuries to another This infuriated the mob further and it attacked the Police Sub Inspector with sticks and stones causing him severe injuries on his head. He was rushed to the hospital but succumbed to his injuries after a week

In this action Shri Raghavendra Rao Kulkarni showed exemplary courage, initiative and devotion to duty of a high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from th 3rd April 1976

No 45 Pres./77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and ranks of officers .

Shri Gopalachari,
Superintendent of Police,
Jamshedpur,
Bihar.

Shri Maiku Ram,
Superintendent of Police,
Singhbhum (Chaibasa),
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 26th May, 1971 a heinous plot to blow up the walls of Hazaribagh Central Jail was unearthed by the police. This plot was master-minded by certain extremist elements One of the extremists involved disclosed to the police the hideout of a much wanted criminal He disclosed where the headquarter of the said criminal was located The Superintendents of Police of District Singhbhum and District Jamshedpur, therefore, organised a joint raid on the hideout on the 5th June, 1971 at about 4 00 P M The two Superintendents of Police themselves headed the raiding party and surrounded the hideout The moment the gangsters detected the approaching police party, they opened fire with their country-made weapons The police officers returned the fire. The criminals tried to escape from the flanks of the encircling party by attacking the policemen with 'Farsas' and other weapons In the encounter two gangsters were killed on the spot and two others were arrested, one of the deceased was the wanted criminal. The police also recovered a substantial quantity of explosives and a lot of correspondence throwing light on the underground extremists and their illegal activities

In this action Shri Gopalachari and Shri Maiku Ram showed exemplary courage leadership and devotion to duty of a high order

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st December, 1974.

No. 46-Pres./77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer ot the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Satish Chandra Das,
Assistant Sub Inspector of Police No. 4430,
Barasat Police Station,
24-Paraganas,
West Bengal

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th July, 1975 at about 3 00 A M. Assistant Sub-Inspector Satish Chandra Das received information from two Constables, who were on patrol duty, that a huge quantity of Stolen iron sleepers were being carried away in a lorry from the Madhyamgram Railway yard, by a gang of miscreants armed with deadly weapons, including fire-arms Shri Das hurried to the spot with the meagre force readily available and challenged the occupants of the lorry which was loaded with iron sleepers and about 25 miscreants on board whereupon the miscreants opened fire and the driver made desparate attempts to run over the police personnel in a bid to escape In the melee Shri Das was knocked down with several serious head injuries and profuse bleeding. But he jumped upon the footboard of the lorry on the side of the driver's cabin and fired from his revolver and also ordered a Constable to fire at the lorry. The constable managed to puncture two tyres of the lorry and it came to a stop, but the miscreants jumped out and fled away One of them was later apprehended.

In this encounter Shri Satish Chandra Das exhibited exemplary courage, leadership and devotion to duty of a high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th July, 1975.

No 47-Pres/77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Jagdish Prashad,
Sub-Inspector of Police
Rajasthan

Shri Balam Singh, *(Deceased)*
Constable No. 523,
D'Coy 1st Battalion,
Rajasthan Armed Constabulary,
Rajasthan

Shri Mustak Khan,
Constable No. 147,
Police Station Masalpur,
District Sawai Madhopur,
Rajasthan

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 14th March, 1976 in the early hours of the morning, Sub-Inspector Jagdish Prashad received information that a dacoit gang was hiding in a sugar-cane field near village Mardai Shri Jagdish Prashad alongwith a party of policemen went to the site and encircled the sugarcane field. He then challenged the dacoits to surrender but they opened fire on the police party

During this encounter Constable Balam Singh who was given the responsibility of guarding the left flank, moved for ward to cut off the route of escape In this process he exposed himself and was unfortunately hit by the firing of the dacoits Shri Balam Singh was grievously wounded and died on the way to masalpur Hospital.

Constable Mustak Khan was positioned behind a 'Peepal' tree not more than 50 yards from the sugar-cane field in which the dacoits were hiding. He was in a very vulnerable position but he continued a persistent fire at the dacoit position Shri Mustak Khan had earlier been deployed in disguise alongwith the informant to keep a watch on the gang He had played an important role in locating the dacoits at grave risk to himself as he was unarmed Due to this well organised raid the dacoits found themselves helpless and in the ensuing encounter all of them were killed. One .303 rifle, and six guns alongwith large quantity of ammunition were recovered from their persons

In this encounter Shri Jagdish Prasahd, Shri Balam Singh and Shri Mustak Khan displayed exemplary courage determination and devotion to duty of a high order

2 These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th March, 1976

K BALACHANDRAN, Secy to the President

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18th April 1977

No. F 2(10)-NS/76 —The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, namely —

1 (1) These rules may be called the Post Office (Time Deposits) Third Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, in rule 8A —

(1) in the proviso, for the figures "60" the figures "30" shall be substituted, and

(2) after the proviso so amended, the following note shall be inserted, namely :—

"*Note*. Where the period elapsed exceeds 30 months, the credit shall be deemed to have been made from a date preceding 30 months from the date of redeposit which shall be in a 5-year account"

A. V SRINIVASAN, Under Secy

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 25th March 1977

No 3-10/75-MH(MPT) —The President is pleased to order that 'the Hospital for Mental Diseases, Ranchi" shall, with effect from 1st April, 1977, be known as "The Central Institute of Psychiatry, Ranchi"

S. SRINIVASAN, Dy Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi the 6th April 1977

RESOLUTION

No 44/1/76 Adm I—The term of the High Level Review Committee for the Central Water & Power Research Station, Pune, set up *vide* this Ministry's Resolution No 44/1/76-Adm I, dated the 15th April 76, is hereby extended for a further period upto the end of May, 1977.

ORDER

Ordered that the above Resolution may be published in the Gazette of India

B M. K MATTOO, Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977